"मेरे काम से मेरी जान नहीं जानी चाहिये"

यौन कर्मियों के जीवन में हिंसा

काफी हद तक यौन कर्मियों के जीवन में हिंसा अपराधीकरण की स्थितियों से पैदा होती है। यौन कार्य स्वाभाविक रूप से हिंसक नहीं है लेकिन यौन कर्मियों के खिलाफ भेदभाव और सामाजिक कलंक हिंसा उत्पन्न करते हैं और यौन कर्मियों की न्याय तक पहुँच को सीमित करते हैं।

विश्व स्तर पर, यौन कर्मियों को अपने परिवारों की तुलना में **45% से 75%** हिंसा होने की संभावना का सामना करना पड़ता है।

एलजीबीटी व्यक्तियों, प्रवासियों, नशीले पदार्थों का उपयोग करने वाले लोगों और बेघरों जैसे कि हाशिये के समूहों के यौन कर्मी और भी उच्च स्तर की हिंसा का अनुभव करते हैं।

हिंसा के प्रकार

शारीरिक | यौन | मनोवैज्ञानिक | संरचनात्मक | आर्थिक

अपराधीकरण यौन कर्मियों के खिलाफ हिंसा को कैसे बढ़ाता है?

यौन कर्मी हिंसा के मामलों की रिपोर्ट नहीं कर पाते। यौन कर्मियों को नियंत्रित करने और उनका शोषण करने के लिये अपराधी उनका खुलासा करने या उन्हें गिरफ्तार करवाने की धमकी देते हैं। यहाँ तक कि जहाँ यौन कर्मियों के लिये कानूनी चैनल उपलब्ध हैं, वहाँ भेदभाव, लंबी और महंगी प्रक्रियाएं, और प्रतिकूल अदालतें यौन कर्मियों को हिंसा की रिपोर्ट करने से रोकती हैं। यहाँ तक कि अपराधियों के सफल अभियोजन को भी न्यूनतम सजा से कम आंका जाता है। भेदभाव और सामाजिक कलंक उन यौन कर्मियों के लिये बदतर है जो अन्य हाशिये के समूहों के सदस्य हैं, उदाहरण के लिये, ट्रांसजेंडर यौन कर्मी, एचआईवी के साथ जी रहे व्यक्ति, प्रवासी, यौन कर्मी जो नशीले पदार्थों का उपयोग करते हैं या जो अपनी नस्ल या जातीयता के कारण भेदभाव का सामना करते हैं।

अपराधीकरण यौन कर्मियों के खिलाफ **सामाजिक कलंक और भेदभाव पैदा करता है।** यह कानून प्रवर्तकों, ग्राहकों, बृहद समुदाय और सेवा प्रदाताओं के साथ यौन कमिर्यों के संबधों को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिये, जब यौन कार्य का अपराधीकरण हो जाता है, तो ग्राहकों के साथ बातचीत में जल्दबाज़ी आ सकती है, जिससे सुरक्षा पर ज़ोर देना अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाता है।

कानून प्रवर्तकों की कार्यवाही दण्ड से मुक्त होती है। अपराधीकरण यौन कर्मियों को गिरफ्तारी और दुर्व्यवहार के लगातार खतरे में डालता है। गिरफ्तारी या उन्हें जुर्माने से बचाने के बदले में कानून लागू करने वाले यौन कर्मियों से पैसे, जानकारी और सेक्स की उगाही कर सकते हैं। वैश्विक अध्ययनों से पता चलता है कि यौन कर्मियों के खिलाफ यौन, शारीरिक, आर्थिक और भावनात्मक हिंसा के मुख्य अपराधियों में से एक पुलिस है।

यौन कर्मियों को अलग होकर अकेले काम करना पड़ता है। पहचाने जाने से बचने के लिये, यौन कर्मी अक्सर अलग–अलग स्थानों पर अकेले काम करते हैं। इसलिये ज़रूरत पड़ने पर उन्हें समर्थन नहीं मिल पाता है, जिससे उनके हिंसा का निशाना बनने की संभावना बढ़ जाती है।

श्रम अधिकारों पर पहुँच में बाधाएं: यौन कर्मी श्रम शोषण के मामलों की रिपोर्ट करने में असमर्थ होते हैं (उदाहरण के लिये अनुचित तरीके से बर्खास्तगी, असुरक्षित कार्य स्थल) और सामूहिक रूप से काम करने की अच्छी परिस्थितियों की पैरवी करने में असमर्थ होते हैं।

स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच को कम करता है। स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं द्वारा की जाने वाली हिंसा और भेदभाव एक प्रतिकूल वातावरण बनाते हैं और यौन कर्मियों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाने से हतोत्साहित करते हैं।

एचआईवी संचरण का बढ़ता जोखिम: पुलिस कंडोम को जब्त कर लेती है और उन्हें यौन कार्य के साक्ष्य के रूप में उपयोग करती है, इसलिये यौन कर्मी कंडोम ले जाने से डरते हैं। एचआईवी के साथ रहने वाले यौन कर्मी दवा साथ ले जाने से डरते हैं क्योंकि अगर उन्हें गिरफ्तार किया जाता है तो इसे जब्त करके उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है।

आगे जारी है

यह यौन कार्य और तस्करी के समस्याग्रस्त सम्मिश्रण का समर्थन करता है। जब यौन कार्य को तस्करी से जोड़ा जाता है, तो "छापे मारने और बचाव" अभियान से, खासकर प्रवासी यौन कर्मियों जैसे लक्षित समूहों के प्रति हिंसा का खतरा बढ़ जाता है।

यह यौन कर्मियों को गलत तरीके से प्रोफाइल करने और लक्षित करने के लिये **गैर–आपराधिक** कानूनों जैसे कि आवारागर्दी और आवारा घूमने के खिलाफ **कानूनों का नाजायज़ फायदा उठाने की अनुमति देता है।**

यौन कर्मियों के खिलाफ हिंसा को कैसे कम करें

यौन कार्य का गैर अपराधीकरण करें।

70%

न्यूज़ीलैंड में 70% यौन कर्मियों और सामाजिक सेवा (सोशल सर्विस) प्रदाताओं का कहना है कि यौन कार्य को गैर आपराधिक करार दिये जाने के बाद यौन कर्मियों के पुलिस के पास जाने की संभावना अधिक थी।

विश्व स्तर पर, गैर अपराधीकरण अगले दशक में महिला यौन कर्मियों और उनके ग्राहकों के बीच **33-46%** एचआईवी संक्रमण को रोक सकता है।

ग्राहकों का अपराधीकरण न करें। शोध से पता चलता है कि जिन देशों में "एंड डिमांड" मॉडल अपनाया गया है, वहाँ यौन कर्मी कम सुरक्षित हैं और उच्च स्तर की हिंसा का अनुभव करते हैं। जब ग्राहकों का अपराधीकरण किया जाता है तो इस उद्योग को स्वास्थ्य और न्याय सेवाओं की पहुँच से दूर छुपने के लिये मज़बूर होना पड़ता है।

यौन कर्मियों द्वारा सामना किये जाने वाले भेदभाव और हिंसा से बचाव के लिये **अधिकारों का सम्मान करने वाले कानूनों की स्थापना करें।**

यौन कर्मियों के खिलाफ मानव अधिकारों के हनन की **जांच करें और दस्तावेज़ीकृत करें।**

"बचाव और पुनर्वास" की धारणा पर आधारित **हस्तक्षेप को चुनौती दें।**

यौन कर्मियों को प्रभावित करने वाले सभी कार्यक्रमों की योजना बनाने और लागू करने में **यौन कर्मियों को सार्थक रूप से शामिल करें।**

सेवा प्रदाताओं और कानून प्रवर्तन के **व्यापक सामाजिक कलंक को दूर करें** जो सेवाओं और देखभाल तक पहुँच में बाधा डालते हैं।

कानून प्रवर्तन को **कंडोम का यौन कार्य के साक्ष्य के रूप में उपयोग बंद करना चाहिये।**

केस स्टडी

हिंसा को कम करने के लिये काम कर रहे यौन कर्मियों के नेतृत्व वाले संगठनों के कुछ उदाहरण।

आंदोलन निर्माण और सुरक्षित स्थान

दक्षिण अफ्रीका: सिसोनके और यौन कर्मी शिक्षा और पैरवी कार्यबल "रचनात्मक स्थान" नामक सामूहिक बैठक का आयोजन करते हैं, जो कार्यालयों, शराब खानों और वेश्यालयों में आयोजित की जाती हैं। रचनात्मक स्थान यौन कर्मियों को सूचना, कौशल और संसाधनों को साझा करने और संवेदनशील, उपयुक्त सेवाओं के लिये रेफरल के माध्यम से समर्थन और क्षमता निर्माण का अवसर प्रदान करते हैं।

www.sisonke.org.za | www.sweat.org.za

कानून प्रवर्तन को जवाबदेह ठहराना

यूक्रेन: लीगललाइफ कानून प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा यौन कर्मियों के खिलाफ मानव अधिकारों की हिंसा को दस्तावेज़ीकृत करते हैं।

https://legalifeukraine.com/en/

यौन कर्मियों के खिलाफ सामाजिक कलंक और भेदभाव को संबोधित करना

इटली: कमिटि फॉर दि सिविल राइट्स ऑफ प्रॉस्टीट्यूट्स ने आउटरीच वर्कर्स और यौन कर्मियों द्वारा एक पत्रिका बनाई और जिसका उद्देश्य सामाजिक कलंक को कम करना और यौन कर्मियों के जीवन की वास्तविकताओं के बारे में जनता को शिक्षित करना है।

कानून प्रवर्तन के साथ काम करना

किर्गिस्तान: ताईस प्लस सेमिनार आयोजित करता है और पुलिस अधिकारियों के साथ व्यक्तिग रूप से बैठकें करता है, जो यौन कार्य हॉटस्पॉट और संबंधित पुलिस स्टेशनों पर ध्यान केंद्रित करती हैं। गोपनीयता की रक्षा करते हुये यौन कर्मियों को सीधे और गुमनाम रूप से उल्लंघन की रिपोर्ट करने की अनुमति देने के लिये अभियोजक (प्रोसिक्यूटर) के कार्यालय के साथ एक समझौता किया गया था।

संदर्भ: *Deering, K et all (2014) "A systematic review of the correlates of violence against sex workers" Am J Public Health. 2014 May;104(5):e42-54; Levy, J (2014) "Criminalising the Purchase of Sex – Lessons from Sweden"; Prostitution Law Reform Committee (2008) "Report of the Prostitution Law Reform Committee on the operation of the Prostitution Reform Act of 2003"; Shannon, K et al (2015) "Global epidemiology of HIV among female sex workers: Influence of structural determinants" in The Lancet, 385: 55–71*

count me IN! | awid | crea | Red Umbrella Fund | Urgent Action Fund Africa | mama cash | JASS JUST POWER